Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1998

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1998/श्रावण 5, 1920

No. 460] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1998/SRAVANA 5, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 जुलाई, 1998

का. आ. 630 (अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का. आ. 746 (अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1997 द्वारा एक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 के संबंध में जनता से आक्षेप मांगे गए थे और प्राप्त हुए सभी आक्षेपों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया था; अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा -6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध और हस्तन के लिए नियम अधिसूचित करती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन व हस्तन करते हैं।

3. परिभाषाएं : जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में,-

(1) ''अधिनियम'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 28) अभिप्रेत है।

(2) ''पशुग्रह'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां अनुसंधान या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है/रखा जाता है।

(3) ''प्राधिकरण'' से इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी अन्य रूप में हस्तन के लिए विहित प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है।

(4) ''प्राधिकृत व्यक्ति'' से इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग दर्शन सिद्धान्तों के अनुसार जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या हस्तन के लिए विहित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिभोगी या प्रचालक अभिप्रेत है।

(5) ''जीव चिकित्सा अपशिष्ट'' से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किसी अनुसंधान क्रियाकलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है और अनुसूची-1 में वर्णित प्रवर्ग-I आते हैं।

(6) ''जैविक'' से अभिप्रेत है, जीवों या सूक्ष्म जीवों का उपापच्य और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादों से बनाई गई विनिर्मितियां, जो मानवों या पशुओं के निदान, प्रतिरक्षीकरण या उपचार में या उनसे संबंधित अनुसंधान क्रिया-कलापों में उपयोग के लिए आशयित है।

(7) ''जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा'' से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार, व्ययन या ऐसे उपचार या व्ययन से आनुसंगिक प्रक्रियाएं की जाती हैं।

(8) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाली किसी संस्था,जिसके अंतर्गत कोई अस्पताल, परिचर्यागृह, क्लीनिक, डिस्पैन्सरी, पशु चिकित्सा संस्थान, पशुग्रह, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला, रक्त बैंक जिसका कोई भी नाम हो, के संबंध में ''अधिभोगी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका उक्त संस्था या उसके परिसरों पर नियंत्रण है।

(9) ''जीव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का प्रचालन'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या हस्तन के किसी अन्य रूप को सुविधा का स्वामी है या उसका प्रचालन करता है।

(10) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अभिप्रेत है।

4. अधिभोगी के कर्तव्य : जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाले किसी संस्थान, जिसके अंतर्गत कोई अस्पताल, परिचर्यागृह, क्लीनिक, डिस्पैन्सरी, पशु चिकित्सा संस्थान, पशुग्रह, पैथोलोजिकल प्रयोगशाला, रक्त बैंक, चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, आते हैं, के प्रत्येक अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं की ऐसे अपशिष्ट का हस्तन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न डाले।

5. उपचार और व्ययन : (1) जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और व्ययन अनुसूची I के अनुसार और अनुसूची में V विहित मानकों की अनुपालना में किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अधिभोगी, जहां अपेक्षित हो, अनुसूची 6 में समय-सूची के अनुसार, अपशिष्ट के उपचार के लिए अपेक्षित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं जैसे इनसिनेरेटर्स, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना करेगा या किसी अन्य अपशिष्ट उपचार सुविधा पर, अपशिष्ट के अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करेगा।

6. पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण : (1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को किसी अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को, उसके भंडारण, परिवहन, उपचार और व्ययन से पहले अनुसूची 2 के अनुसार जनन बिंदु पर आधानों/बैगों में पृथक किया जाएगा। आधानों पर अनुसूची 3 के अनुसार लेबल लगाया जाएगा।

(3) यदि आधान का परिवहन, उन परिसरों से जहां जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन होता है, परिसरों से बाहर किसी अपशिष्ट उपचार सुविधा को किया जाता है तो आधानों पर अनुसूची 3 में विहित लेबल के साथ अनुसूची 4 में विहित जानकारी भी दर्शित होगी।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुपचारित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन केवल ऐसे यान में किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए।

(5) कोई अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट 48 घंटे की अवधि से परे भंडारित नहीं रखा जाएगा-

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से ऐसी अवधि से परे अपशिष्ट का भंडारण आवश्यक हो जाता है तो प्राधिकृत व्यक्ति को विहित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए कि अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित न करें।

7. विहित प्राधिकारी : (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, ऐसे सदस्यों के साथ विहित प्राधिकरण स्थापित करेगी जो प्राधिकार मंजूर करने के लिए इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं। यदि विहित प्राधिकरण में एक से अधिक सदस्य हैं, तो प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष अभिहित किया जाएगा।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित प्राधिकरण इन नियमों के प्रस्तुत होने के एक माह के भीतर नियुक्त किए जाएंगे।

(3) विहित प्राधिकरण, अपनी-अपनी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेंगे।

(4) विहित प्राधिकरण, प्ररूप 1 के प्राप्त होने पर ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास इन नियमों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट की आवश्यक क्षमता है तो, यथास्थिति, प्राधिकरण को मंजूर या नवीकृत करेगा।

(5) प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जारी करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक परीक्षण अवधि भी है। इसके पश्चात् एक आवेदन नवीकरण के लिए अधिभोगी /प्रचालक द्वारा किया जाएगा। ऐसे सभी पश्चात्वर्ती प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगे। अंतिम प्राधिकार परीक्षण अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा जिससे सुविधा की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अधिभोगी/प्रचालक को समर्थ बनाया जा सके।

(6) विहित प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे, प्राधिकार देने से या नवीकृत करने से इंनकार कर सकेगा।

(7) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन का विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा।

(8) विहित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार रद्द या निलंबित किया जा सकेगा यदि उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अधिभोगी/प्रचालक अ(नेयम या इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल हो जाता है :

8. प्राधिकार : (1) क्लीनिकों, डिस्पैन्सरियों, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों, के ऐसे अधिभोगियों को छोड़कर, जो प्रतिमाह 1000 (एक हजार) से कम मरीजों का उपचार कर रहे हैं/सेवाएं दे रहे हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्सर्जन, संग्रहण, भंडारण एक जगह से अन्यत्र ले जाने, निपटान करने और अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले संस्थान का प्रत्येक अधिभोगी प्राधिकरण की मंजूरी के लिए विहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फार्म-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का प्रत्येक प्रचालक, प्राधिकार मंजूर करने के लिए विहित प्राधिकारण को प्ररूप 1 में आवेदन करेगा।

(3) प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप 1 में प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो राज्य या संघ क्षेत्र सरकार द्वारा विहित की जाए।

9. सलाहकार समिति : प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी। समिति में चिकित्सा और स्वास्थ्य, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरणीय प्रबंध, नगरपालिका प्रशासन, के क्षेत्रों के विशेषज्ञ और कोई अन्य संबंधित विभाग या संगठन जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन आते हैं, सम्मिलित होंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब और जैसा अपेक्षित हो, समिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और विहित प्राधिकरण को इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के बारे में सलाह देगी।

10. वार्षिक रिपोर्ट : प्रत्येक अधिभोगी प्रचालक प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्ररूप 2 में विहित प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्था द्वारा हथाले गए जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रकार और मात्रा के बारे में जानकारी होगी। उक्त प्राधिकरण द्वारा इस सूचना को संकलित रूप में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा।

11. अभिलेखों का अनुरक्षण : प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति, इन नियमों तथा इस संबंध में किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार, जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के उत्सर्जन, संग्रहण, प्राप्तियां, संग्रहण, उन्हें एक जगह से अन्यत्र ले जाने, निपटान करने और अथवा किसी भी रूप में उनका हथालन के बारे में रिकार्ड रखेगा।

12. दुर्घटना की रिपोर्ट करना : जब कोई दुर्घटना, किसी ऐसी संस्था या सुविधा या किसी अन्य स्थल पर होती है जहां जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन होता है, या ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान घटित होती तो प्राधिकृत व्यक्ति, दुर्घटना की रिपोर्ट प्ररूप-III में, विहित प्राधिकरण को तत्काल करेगा।

13. अपील : इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया जाता है, अपील ऐसे प्राधिकारी को करेगा, जिसका गठन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ठीक समझे :

परन्तु प्राधिकारी, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था।

अनुसूची 1

(नियम 5 देखें)

जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्ग

	अपशिष्ट वर्ग	उपचार और निपटान विकल्प
	1	2
प्रवर्ग सं. 1	मानव शारीरिक अपशिष्ट (मानव तंतु, अंग और शरीर के भाग)	भस्मन@/गहरा गाड़ना*
प्रवर्ग सं. 2	पशु अपशिष्ट (पशु तंतु, अंग, शरीर के भाग, पिंजर, रक्त स्रावी भाग, द्रव, रक्त और अनुसंधान में उपयोग किए गए प्रयोगकारी पशुओं के अपशिष्ट, पशु चिकित्सा अस्पतालों, महाविद्यालयों द्वारा जनित, पशु गृहों, अस्पतालों से निस्सरित अपशिष्ट)	भस्मन@/गहरा गाड़ना*

	1	2
प्रवर्ग सं. 3	सूक्ष्मजीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट (प्रयोगशाला संवर्धनों के अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवों के स्टॉक या नमूने, जीवित या क्षीणीकृत वैक्सीन, मानवीय और पशु सैल संवर्धन जो अनुसंधान में प्रयुक्त हुए हों और अनुसंधान और प्रौद्योगिक प्रयोगशालाओं के संक्रामक एजेन्ट, जैविकों के उत्पादन के अपशिष्ट, संवर्धनों के अन्तरण में प्रयुक्त आविष पात्र और युक्तियां)	स्थानीय आटोक्लेविंग/ सूक्ष्म तरंगण और भस्मन@
प्रवर्ग सं. 4	अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र (ऐसी सूइयां, सिरिंजे, स्केल्पेल, ब्लेड, शीशा आदि जिससे पंचर और कटाव हो सकता है। इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दोनों प्रकार तीक्ष्णाग्र सम्मिलित हैं	विसंक्रमण, शीर्णन** और भू-भराई/पुन: चक्रण रासायनिक उपचार@@/आटोक्लेविंग, सूक्ष्म तरंगण/मुड़ी तुड़ी)
प्रवर्ग सं. 5	फैंकी गई और आविष औषध औषधियां (अपशिष्ट जिसमें पुरानी, संदूषित और त्यजित औषधियां समादिष्ट है।)	प्राप्त की गई लैंडफिल्स में भस्मन@/विनाश और औषध व्ययन
प्रवर्ग सं. 6	ठोस अपशिष्ट (दूषित सूती कपड़ों, पट्टियों, प्लस्तर के सांचों, तन के धागों, बिस्तरों, रक्त से संदूषित अन्य सामग्री)	सूक्ष्मतरंगन भस्मन, आटोक्लेविंग/ भस्मन@, ऑटोक्लेविंग तरंगन
प्रवर्ग सं. 7	ठोस अपशिष्ट (तीक्ष्णाग्र अपशिष्टों से भिन्न व्ययनीय मदों से जनित अपशिष्ट जैसे ट्यूब नाल-शालाएं, आई वी. सैट इत्यादि)	रासायनिक उपचार@@/ऑटो-क्लेविंग/सूक्ष्म तरंगण और शीर्णन द्वारा विसंक्रमण**
प्रवर्ग सं. 8	द्रव अपशिष्ट (प्रयोगशाला और धुलाई, गृह व्यवस्था और विसंक्रमण क्रियाकलापों से जनित अपशिष्ट)	रासायनिक उपचार@@ और नलियों में प्रवाह से विसंक्रमण
प्रवर्ग सं. 9	भस्मन राख (किसी भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मन से राख)	नगरपालिका भू-भराई में व्ययन
प्रवर्ग सं. 10	रासायनिक अपशिष्ट (जैविकों के उत्पादन में प्रयुक्त रसायन, विसंक्रमण में प्रयुक्त रसायन जैसे कि कीटनाशी माल आदि)	द्रवों के लिए रासायनिक उपचार@@ और नाली में प्रवाह तथा ठोस के लिए भू-भराई

* गाड़ने का विकल्प केवल पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा।

** मुड़ाई तुड़ाई/क्षीरणन ऐसा होना चाहिए कि अप्राधिकृत पुन: उपयोग को रोका जा सके।

@ भस्मन से पूर्व कोई रासायनिक उपचार नहीं किया जाएगा। क्लोरीन युक्त प्लास्टिक का भस्मन नहीं किया जाएगा।

@@ ऐसे रासायनिक उपचार जिनमें कम से कम एक प्रतिशत हाइपाक्लोराईड घोल या कोई अन्य समान रासायनिक रीजेंट हो। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रासायनिक उपचार से विसंक्रमण सुनिश्चित है।

अनुसूची—2

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन के लिए रंग कोड और आधान

रंग कोड	आधान का प्रकार	अपशिष्ट	अनुसूची 1 के अनुसार उपचार विकल्प
पीला	प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 1, प्रवर्ग 2 और प्रवर्ग 3, प्रवर्ग 6	भस्मन गहरा गाड़कर
लाल	विसंक्रमिक आधान 1 प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 3, प्रवर्ग 6, प्रवर्ग 7	आटोकलेविंग 1 सूक्ष्म तंरगन 1 रासायनिक उपचार
नीला 1 पारभाषी	प्लास्टिक बैग न फटने वाला आधान,	प्रवर्ग 4, प्रवर्ग 7	आटोकलेविग 1 सूक्ष्म तंरगना रासायनिक उपचार और विनष्टीकरण शीर्णन
काला	प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 5 और प्रवर्ग 9 तथा प्रवर्ग 10 (ठोस)	सुरक्षित भू-भराई में व्ययन

टिप्पण :

1. अनुसूची 1 में यथापरिभाषित बहु-उपचार विकल्पों के साथ अपशिष्ट प्रवर्गों के रंग कोड का चयन, उपचार विकल्प चुने जाने पर निर्भर होगा जो कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
2. भस्मन की आवश्यकता वाले अपशिष्टों के संग्रहण के लिए बैग क्लोरीन युक्त प्लास्टिक से बने नहीं होंगे।
3. प्रवर्ग 8 और 10 (द्रव्य) के लिए आधानों बैगों आवश्यकता नहीं है।
4. प्रवर्ग 3, यदि स्थानिक रूप से विसंक्रमित है तो उसे आधानों बैगों में रखना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची—3

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट पात्रों/बैगों के लिए लेबल

जैविक खतरे का प्रतीक	कोशिका—आविष खतरा प्रतीक
जैविक खतरा	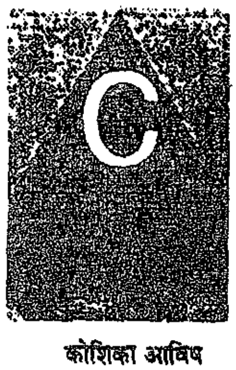 कोशिका आविष

हस्तन में सावधानी

टिप्पण : लेबल पानी से न घुलने वाला और प्रमुखतया दृष्टि गोचर होगा।

अनुसूची 4

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट पात्रों/बैगों के परिवहन के लिए लेबल

दिन————मास———वर्ष———

अपशिष्ट कोटि सं.——————— उत्पत्ति की तारीख———————

अपशिष्ट का वर्ग

अपशिष्ट का प्रकार

भेजने वाले का नाम और पता पाने वाले का नाम और पता

फोन सं. —————————— फोन सं. ——————————

टैलेक्स सं. —————————— टैलेक्स सं. ——————————

फैक्स सं.—————————— फैक्स सं.——————————

व्यक्ति जिससे संपर्क किया जा सके कृपया आपातकालीन स्थिति में निम्नलिखित से संपर्क करें : व्यक्ति जिससे संपर्क किया जा सके

नाम और पता :—

फोन नं. :

टिप्पण :

लेबल पानी से न घुलने वाला और प्रमुखतया दृष्टिगोचर होगा ।

अनुसूची 5

(नियम 5 और अनुसूची-1 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और व्ययन के लिए मानक भस्मकों के लिए मानक

सभी भस्मक, प्रचालन और उत्सर्जक के निम्नलिखित मानकों को पूरा करेंगे :

क. प्रचालन मानक

1. ज्वलन दक्षता (सी ई) कम-से-कम 99.00 प्रतिशत होगी।
2. इसकी संगणना निम्नलिखित रूप से की गई है :

$$\text{सी. ई.} \frac{\text{प्रतिशत सी.ओ. 2}}{\text{प्रतिशत सी.ओ. 2} - \text{प्रतिशत सी.ओ.}} 100$$

3. प्राथमिक चैम्बर का ताप 800 $\pm$ 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
4. द्वितीय चैम्बर में गैस रेजिडेन्स के समय स्टैक गैस में न्यूनतम 3 प्रतिशत आक्सीजन के साथ 1050 $\pm$ 50 सेंटीग्रेड पर कम से कम 1 (एक) सैकिंड होगा।

उत्सर्जन मानक

प्राचल	सांद्रण मि.ग्रा./एन एम 3(12 प्रतिशत सी ओ 2 संशोधन)
1. विविक्त पदार्थ	150
2. नाइट्रोजन आक्साइड	450
3. एच सी आई	50

4. स्टेक की न्यूनतम ऊँचाई 30 मीटर भूमि के ऊपर होगा।
5. राख में वाष्पशील आर्गनिक 0.01 प्रतिशत से अनधिक होगा।

टिप्पण :—

1. उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो भस्मक में उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण युक्तियां प्रतिस्थापित/पूर्व फिटिड होगी।
2. भस्मित किए जाने वाला सम्पूर्ण अपशिष्ट किसी क्लोरीन युक्त विसंक्रमक से रसायनिक रूप से उपचारित नहीं होगा।

* क्लोरी युक्त प्लास्टिक का भस्मन नहीं किया जाएगा।
* भस्मित राख में आविष धातुओं की मात्रा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन नियम), 1989 के अधीन यथा परिभाषित विनियम परिमाणों के तक सीमित होगी।
* भस्मक में केवल कम सलफर से युक्त ईंधन जैसे एल.डी.ओ./एल.एस.एच.एस/डीजल का ही प्रयोग किया जाएगा।

अपशिष्ट आटोक्लेविंग के लिए मानक:—आटोक्लेव जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रयोजन के लिए समर्पित होना चाहिए।

(1) जब घनत्व प्रवाह आटोक्लेव को संचालित किया जा रहा हो तो चिकित्सीय अपशिष्ट को—

(i) कम से कम 60 मिनट ओटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, 121 सें. तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर,

(ii) कम से कम 45 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 135 सें. तापमान और 31 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर, या

(iii) कम से कम 30 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 149 सें. तापमान और 52 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर गुजारा जाएगा।

(2) जब किसी वैकम आटोक्लेव को संचालित किया जा रहा हो तो चिकित्सीय अपशिष्ट को कम से कम एक प्रिवेकम पल्स से होकर गुजारा जाएगा जिससे कि आटोक्लेव से सभी वायु से शुद्ध हो जाए।

अपशिष्ट को—

(i) कम से कम 45 मिनट ओटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 121 सें. तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर, या

(ii) कम से कम 30 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 135 सें. तापमान और 31 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर गुजारा जाएगा।

(iii) चिकित्सीय अपशिष्ट को तब तक समुचित रूप से उपचारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि सभी समय, तापमान और संपीड़न यह उपदर्शित न करें कि आक्टोक्लेव प्रक्रिया के दौरान, अपेक्षित समय, तापमान और संपीड़न प्राप्त कर लिया गया है। यदि किसी कारणवश समय, तापमान या संपीड़न उपदर्शित यह दिखाता है कि अपेक्षित, तापमान या संपीड़न या रेजिडेंस समय प्राप्त नहीं किया गया तो चिकित्सीय अपशिष्ट के संपूर्ण भार को तब तक पुनः आक्टोक्लेव किया जाएगा जब तक कि समुचित तापमान, संपीड़न और रेजिडेंस समय प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

(iv) संक्रियात्मक पारामीटर की रिकार्डिंग :—प्रत्येक आक्टोक्लेव में ग्राफिक या कम्प्यूटर रिकार्डिंग युक्ति होगी जो स्वतः और निरन्तर, तारीख, समय दिन, भार पहचान संख्या और पूरे आक्टोक्लेव चक्र के प्रचालन पारामीटर की रिकार्डिंग करेगी।

(v) विधिमान्यकरण परीक्षण स्पोर परीक्षण:— स्पोर परीक्षण आक्टाक्लेव को, प्रत्येक आक्टोक्लेव ईकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित, जैविक उपसंकेतक को पूर्णतः और समान रूप से खत्म करना चाहिए। आक्टोक्लेव के लिए जैविक उपसंकेतक होगा बैसिलस स्टिरोथर्मोफिलस स्पोर, जिसमें कम से कम प्रति मिलीमीटर 1×10^4 स्पोर वाली वायल या स्पोर स्ट्रिप का प्रयोग होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी आक्टाक्लेव में न्यूनतम 30 मिनट के रेजिडेंस समय से कम वाला प्रचालन पैरामीटर न होगा चाहे तापमान और संपीड़न कुछ भी हो और तापमान 121 सें. या संपीड़न 15 पाउंड वर्ग इंच से कम नहीं होगा।

(vi) नैमिक परीक्षण :—एक ऐसी रासायनिक संकेतक पट्टी/अेप का जो तब अपना रंग बदलती है जब एक विशेष तापमान तक पहुंचा जाता है उसका प्रयोग इस बात का सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है कि एक विशिष्ट तापमान प्राप्त कर लिया गया है। एक से अधिक स्ट्रिप का विभिन्न अवस्थानों पर अपशिष्ट पैकेजों पर प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि पैकेज की अंदरूनी अंतर्वस्तु का पर्याप्त रूप से आटोक्लेव हो गया है।

द्रव अपशिष्ट के लिए मानक :—अस्पताल से जनन होने वाला बहि:स्राव निम्नलिखित सीमाओं के अनुरूप होगा :—

प्राचल	अनुज्ञेय सीमाएं
पी एच	6.5—9.0
निलंबित ठोस	100 मि.ग्रा./1
तेल और ग्रीस	10 मी.ग्रा./1
बी ओ डी	30 मी.ग्रा./1
सी ओ डी	250 मि.ग्रा./1
जैव अमापन परीक्षण	100 प्रतिशत बहि:स्राव में 96 घंटे रहने के पश्चात् 90 प्रतिशत मत्स्य उपजीविता

* ये सीमाएं ऐसे अस्पतालों पर लागू हैं जो अन्त्यवाहित (टर्मिनल) मल उपचार संयंत्र के बिना मल नाली से जुड़ते हैं या सार्वजनिक मल नालियों से नहीं जुड़ते। ऐसे सार्वजनिक मल नलों में विसर्जन के लिए जिनमें अन्त्य (टर्मिनल) सुविधा है, साधारण मानक, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन लागू किए जाने के लिए यथा अधिसूचित हैं।

सूक्ष्म तरंगन के मानक

1. सूक्ष्म तरंग उपचार कोशिका आविष, खतरनाक या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, विसंदूषित पशु शव, शरीर के अंगों और धातु की बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
2. सूक्ष्म तरंग पद्धति प्रभावोत्पादकता परीक्षण/नेमी परीक्षणों का पालन करेगी और यूनिट के प्रचालन से पूर्व प्रदायकर्ता निष्पादन गारंटी देगा।
3. सूक्ष्म तरंग, प्रत्येक सूक्ष्म तरंग यूनिट की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर बैक्टीरिया और अन्य रोगोत्पादक जीवों को, जैसा कि अनुमोदित जैव सूचक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, पूर्णतया और निरन्तर समाप्त करेगा। सूक्ष्म तरंग के लिए जैव सूचक, कूपिक या स्पोर स्ट्रिप का प्रयोग करते हुए बेसिलस सबटिलिस स्पोर जिसमें प्रति मिलीमीटर में कम से कम 1 × 10 प्रतिशत स्पोर हैं।

गहरा गाड़ने के लिए मानक

1. लगभग 2 मीटर गहरा एक गड्ढा या खंदक खोदी जानी चाहिए। गड्ढे या खंदक की आधी भराई अपशिष्ट से करनी चाहिए और शेष को मिट्टी से भरने से पूर्व उसकी सतह को 50 से. मी. तक चूने से ढकना चाहिए।
2. यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि पशु किसी गाड़ने के स्थान तक न पहुंच पाएं गल्वनीकृत लोहे/तारों की जालियों के कवर उपयोग में लाए जा सकते हैं।
3. प्रत्येक उस समय जब अपशिष्ट गर्त में डाला जाए तो अपशिष्ट को ढकने के लिए 10 सें. मी. मृदा की परत डाली जाए।
4. गर्त में डालकर ढकने का कार्य समर्पित पर्यवेक्षण में होना चाहिए।
5. गर्त में डालकर ढकने का स्थल, कठोर होना चाहिए और उसके समीप कोई उथला कुआं न हो।
6. गर्त निवास स्थानों से दूर ऐसे स्थानों पर होने चाहिए कि पृष्ठ जल अथवा भू-जल को किसी प्रकार का संदूषण न हो। वह क्षेत्र बाढ़ अथवा अपरदन ग्रस्त क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
7. गहरे गर्त में डालकर ढंकने का स्थल, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए।
8. इस प्रकार के सभी गड्डों के स्थान रिकार्ड किए जाएंगे और यह रिकार्ड रखा जाएगा।

अनुसूची 6

(देखिए नियम 5)

भस्मक/आटोक्लेव/सूक्ष्म तरंगन प्रणाली जैसी अपशिष्ट शोधन सुविधा प्रारंभ करने के लिए नियत समय

क. 30 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम	31 दिसंबर, 1999 तक या उससे पहले
ख. 30 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम	
(क) 500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	31 दिसंबर, 1999 तक या उससे पहले
(ख) 200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	31 दिसंबर, 2000 तक या उससे पहले
(ग) 50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	31 दिसंबर, 2001 तक या उससे पहले
(घ) 50 से कम बिस्तर वाले	31 दिसंबर, 2002 तक या उससे पहले
ग. ऊपर "क" और "ख" में शामिल न किए गए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली अन्य सभी संस्थाएं	31 दिसंबर, 2002 तक या उससे पहले

प्रारूप 1

(नियम 8 देखिए)

प्राधिकार आवेदन

सेवा में,

विहित प्राधिकारी

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नाम)

1. आवेदक की विशिष्टियां

(i) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में और पूरा नाम लिखें)

(ii) संस्था का नाम :

पूरा पता :

(टेलीफोन सं. फैक्स सं., टेलेकस सं.)

2. क्रियाकलाप जिनके लिए प्राधिकार मांगा गया है :

(i) जनन

(ii) पृथक्करण

(iii) अभिग्रहण

(iv) भण्डारण

(v) परिवहन

(vi) उपचार

(vii) व्ययन

(viii) हस्तन का कोई अन्य प्रकार

3. आवेदन नए प्राधिकार के लिए है या नवीकरण के लिए ?
(नवीकरण की दशा में पूर्व प्राधिकार की संख्या और तारीख)

4. (i) जैव चिकित्सकीय अपशेष का हस्तन करने वाली संस्था का पता

(ii) उपचार की सुविधा के स्थान का पता :

(iii) अपशिष्ट के व्ययन के स्थान का पता :

5. (i) परिवहन का/के ढंग

(ii) पृथक्करण की पद्धति/पद्धतियां/तकनीकियां

6. उपचार एवं निपटान की पद्धति का संक्षिप्त ब्यौरा (ब्यौरा संलग्न करें)

7. (i) हस्तन किए जाने वाले अपशिष्ट का प्रवर्ग (देखें अनुसूची 1)

(ii) प्रतिमास हस्तन की जाने वाली अपशेष (श्रेणीवार) की मात्रा

8. घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथन और दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान को विश्वास के अनुसार सही है तथा इन कथनों की बाबत मेरे पास उपलब्ध कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं इन नियमों के संबंध में नियत प्राधिकारी द्वारा मांगी कोई भी अन्य सूचना देने और नियत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई भी शर्तें पूरी करने का भी वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पदनाम

तारीख

स्थान :

प्रारूप 2

(नियम 10 देखिए)

वार्षिक रिपोर्ट

(प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी)

1. आवेदक की विशिष्टियां

(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (अधिभोगी/प्रचालक)

(ii) संस्था का नाम

पता

टेलीफोन सं.

टेलेक्स सं.

फैक्स सं.

2. मासिक औसत आधार पर जनन किए गए अपशिष्ट का प्रवर्ग और मात्रा,

3. उपचार सुविधा के विस्तृत ब्यौरे

आफ-साइट सुविधा के मामले में

(i) प्रचालक व्यक्ति का नाम

(ii) सुविधा का नाम और पता

टेलीफोन सं. टेलेक्स सं. फैक्स सं.

4. उपचारित अपशिष्ट की श्रेणी वार मात्रा

5. उपचार की पद्धति ब्यौरों सहित

6. अन्य कोई सूचना :

7. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट —————————————— से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए है।

हस्ताक्षर——————

पदनाम——————

तारीख ——————

स्थान ——————

प्रारूप 3

(नियम 12 देखिए)

दुर्घटना की रिपोर्ट

1. दुर्घटना की तारीख और समय

2. उन दुर्घटनाओं का क्रम जिनसे दुर्घटना हुई :

3. दुर्घटना में अंतर्वलित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट :

4. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों का मूल्यांकन

5. किए गए आपातकालीन उपाय :

6. दुर्घटनाओं के प्रभावों के निराकरण के लिए उठाए गए कदम।

7. ऐसी दुर्घटना के पुन: घटित होने को रोकने के लिए उठाए गए कदम।

हस्ताक्षर——————

पदनाम——————

तारीख ——————

स्थान ——————

[फा. सं. 23/2/96/एच एस एम डी]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, 20th July, 1998

S.O. 630 (E).—Whereas a notification in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette vide S.O. 746 (E) dated 16 October, 1997 inviting objections from the public within 60 days from the date of the publication of the said notification on the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 and whereas all objections received were duly considered:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby notifies the rules for the management and handling of bio-medical waste.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **APPLICATION:**

These rules apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle bio-medical waste in any form.

3. **DEFINITIONS:** In these rules unless the context otherwise requires :—

(1) **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(2) **"Animal House"** means a place where animals are reared/kept for experiments or testing purposes;

(3) **"Authorisation"** means permission granted by the prescribed authority for the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal and/or any other form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and any guidelines issued by the Central Government.

(4) **"Authorised person"** means an occupier or operator authorised by the prescribed authority to generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose and/or handle bio-medical waste in accordance with these rules and any guidelines issued by the Central Government;

(5) **"Bio-medical waste"** means any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunisation of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biologicals, and including categories mentioned in Schedule I;

(6) **"Biologicals"** means any preparation made from organisms or micro-organisms or product of metabolism and biochemical reactions intended for use in the diagnosis, immunisation or the treatment of human beings or animals or in research activities pertaining thereto;

(7) **"Bio-medical waste treatment facility"** means any facility wherein treatment, disposal of bio-medical waste or processes incidental to such treatment or disposal is carried out;

(8) **"Occupier"** in relation to any institution generating bio-medical waste, which includes a hospital, nursing home, clinic dispensary, veterinary institution, animal house, pathological laboratory, blood bank by whatever name called, means a person who has control over that institution and/or its premises;

(9) **"Operator of a bio-medical waste facility"** means a person who owns or controls or operates a facility for the collection, reception, storage, transport, treatment, disposal or any other form of handling of bio-medical waste;

(10) "Schedule" means schedule appended to these rules;

4. **DUTY OF OCCUPIER:**

It shall be the duty of every occupier of an institution generating bio-medical waste which includes a hospital, nursing home, clinic, dispensary, veterinary institution, animal house, pathological laboratory, blood bank by whatever name called to take all steps to ensure that such waste is handled without any adverse effect to human health and the environment.

5. **TREATMENT AND DISPOSAL**

(1) Bio-medical waste shall be treated and disposed of in accordance with Schedule I, and in compliance with the standards prescribed in Schedule V.

(2) Every occupier, where required, shall set up in accordance with the time-schedule in Schedule VI, requisite bio-medical waste treatment facilities like incinerator, autoclave, microwave system for the treatment of waste, or, ensure requisite treatment of waste at a common waste treatment facility or any other waste treatment facility.

6. **SEGREGATION, PACKAGING, TRANSPORTATION AND STORAGE**

(1) Bio-medical waste shall not be mixed with other wastes.

(2) Bio-medical waste shall be segregated into containers/bags at the point of generation in accordance with Schedule II prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The containers shall be labeled according to Schedule III.

(3) If a container is transported from the premises where bio-medical waste is generated to any waste treatment facility outside the premises, the container shall, apart from the label prescribed in Schedule III, also carry information prescribed in Schedule IV.

(4) Notwithstanding anything contained in the Motor Vehicles Act, 1988, or rules thereunder, untreated bio-medical waste shall be transported only in such vehicle as may be authorised for the purpose by the competent authority as specified by the government.

(5) No untreated bio-medical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours :

Provided that if for any reason it becomes necessary to store the waste beyond such period, the authorised person must take permission of the prescribed authority and take measures to ensure that the waste does not adversely affect human health and the environment.

6)

7. **PRESCRIBED AUTHORITY**

(1) The Government of every State and Union Territory shall establish a prescribed authority with such members as may be specified for granting authorisation and implementing these rules. If the prescribed authority comprises of more than one member, a chairperson for the authority shall be designated.

(2) The prescribed authority for the State or Union Territory shall be appointed within one month of the coming into force of these rules.

(3) The prescribed authority shall function under the supervision and control of the respective Government of the State or Union Territory.

(4) The prescribed authority shall on receipt of Form I make such enquiry as it deems fit and if it is satisfied that the applicant possesses the necessary capacity to handle bio-medical waste in accordance with these rules, grant or renew an authorisation as the case may be.

(5) An authorisation shall be granted for a period of three years, including an initial trial period of one year from the date of issue. Thereafter, an application shall be made by the occupier/operator for renewal. All such subsequent authorisation shall be for a period of three years. A provisional authorisation will be granted for the trial period, to enable the occupier/operator to demonstrate the capacity of the facility.

(6) The prescribed authority may after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for reasons thereof to be recorded in writing, refuse to grant or renew authorisation.

(7) Every application for authorisation shall be disposed of by the prescribed authority within ninety days from the date of receipt of the application.

(8) The prescribed authority may cancel or suspend an authorisation, if for reasons, to be recorded in writing, the occupier/operator has failed to comply with any provision of the Act or these rules :

Provided that no authorisation shall be cancelled or suspended without giving a reasonable opportunity to the occupier/operator of being heard.

8. **AUTHORISATION**

(1) Every occupier of an institution generating, collecting, receiving, storing, transporting, treating, disposing and/or handling bio-medical waste in any other manner, except such occupier of clinics, dispensaries, pathological laboratories, blood banks providing treatment/service to less than 1000 (one thousand) patients per month, shall make an application in Form I to the prescribed authority for grant of authorisation.

(2) Every operator of a bio-medical waste facility shall make an application in Form I to the prescribed authority for grant of authorisation.

(3) Every application in Form I for grant of authorisation shall be accompanied by a fee as may be prescribed by the Government of the State or Union Territory.

9. **ADVISORY COMMITTEE**

(1) The Government of every State/Union Territory shall constitute an advisory committee. The committee will include experts in the field of medical and health, animal husbandry and veterinary sciences, environmental management, municipal administration, and any other related department or organisation including non-governmental organisations. The State Pollution Control Board/Pollution Control Committee shall be represented. As and when required, the committee shall advise the Government of the State/Union Territory and the prescribed authority about matters related to the implementation of these rules.

(2) in amendment notification

10. **ANNUAL REPORT**

Every occupier/operator shall submit an annual report to the prescribed authority in Form II by 31 January every year, to include information about the categories and quantities of bio-medical wastes handled during the preceding year. The prescribed authority shall send this information in a compiled form to the Central Pollution Control Board by 31 March every year.

11. **MAINTENANCE OF RECORDS**

(1) Every authorised person shall maintain records related to the generation, collection, reception, storage, transporation, treatment, disposal and/or any form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and any guidelines issued.

(2) All records shall be subject to inspection and verification by the prescribed authority at any time.

12. **ACCIDENT REPORTING**

When any accident occurs at any institution or facility or any other site where bio-medical waste is handled or during transportation of such waste, the authorised person shall report the accident in Form III to the prescribed authority forthwith.

13. **APPEAL**

Any person aggrieved by an order made by the prescribed authority under these rules may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to such authority as the Government of State/Union Territory may think fit to constitute :

Provided that the authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

SCHEDULE I

(See Rule 5)

CATEGORIES OF BIO-MEDICAL WASTE

Option	Waste Category	Treatment & Disposal
Category No. 1	Human Anatomical Waste (human tissues, organs, body parts)	incineration@/deep burial*
Category No. 2	Animal Waste (animal tissues, organs, body parts carcasses, bleeding parts, fluid, blood and experimental animals used in research, waste generated by veterinary hospitals colleges, discharge from hospitals, animal houses)	incineration@/deep burial*
Category No 3	Microbiology & Biotechnology Waste (wastes from laboratory cultures, stocks or specimens of micro-organisms live or attenuated vaccines, human and animal cell culture used in research and infectious agents from research and industrial laboratories, wastes from production of biologicals, toxins, dishes and devices used for transfer of cultures)	local autoclaving/micro-waving/incineration@
Category No 4	Waste sharps (needles, syringes, scalpels, blades, glass, etc. that may cause puncture and cuts. This includes both used and unused sharps)	disinfection (chemical treatment@@/auto claving/micro-waving and mutilation/shredding##
Category No 5	Discarded Medicines and Cytotoxic drugs (wastes comprising of outdated, contaminated and discarded medicines)	incineration@/destruction and drugs disposal in secured landfills
Category No 6	Solid Waste (Items contaminated with blood, and body fluids including cotton, dressings, soiled plaster casts, lines, beddings, other material contaminated with blood)	incineration@ autoclaving/microwaving
Category No. 7	Solid Waste (wastes generated from disposable items other than the waste shaprs such as tubings, catheters, intravenous sets etc).	disinfection by chemical treatment@@ autoclaving/ microwaving and mutilation/ shredding##
Category No. 8	Liquid Waste (waste generated from laboratory and washing, cleaning, house-keeping and disinfecting activities)	disinfection by chemical treatment@@ and discharge into drains.
Category No. 9	Incineration Ash (ash from incineration of any bio-medical waste)	disposal in municipal landfill
Category No. 10	Chemical Waste (chemicals used in production of biologicals, chemicals used in disinfection, as insecticides, etc.)	chemical treatment@@ and discharge into drains for liquids and secured landfill for solids

@@ Chemicals treatment using at least 1% hypochlorite solution or any other equivalent chemical reagent. It must be ensured that chemical treatment ensures disinfection.

Multilation/shredding must be such so as to prevent unauthorised reuse.

@ There will be no chemical pretreatment before incineration. Chlorinated plastics shall not be incinerated.

* Deep burial shall be an option available only in towns with population less than five lakhs and in rural areas.

SCHEDULE II

(see Rule 6)

COLOUR CODING AND TYPE OF CONTAINER FOR DISPOSAL OF BIO-MEDICAL WASTES

Colour Conding	Type of Container	Waste Category	Treatment options as per Schedule I
Yellow	Plastic bag	Cat. 1, Cat. 2, and Cat. 3, Cat. 6.	Incineration/deep burial
Red	Disinfected container/plastic bag	Cat. 3, Cat. 6, Cat.7.	Autoclaving/Microwaving/ Chemical Treatment
Blue/White translucent	Plastic bag/puncture proof container	Cat. 4, Cat. 7.	Autoclaving/Microwaving/ Chemical Treatment and destruction/shredding
Black	Plastic bag	Cat. 5 and Cat. 9 and Cat. 10. (solid)	Disposal in secured landfill

Notes:

1. Colour coding of waste categories with multiple treatment options as defined in Schedule I, shall be selected depending on treatment option chosen, which shall be as specified in Schedule I.
2. Waste collection bags for waste types needing incineration shall not be made of chlorinated plastics.
3. Categories 8 and 10 (liquid) do not require containers/bags.
4. Category 3 if disinfected locally need not be put in containers/bags.

SCHEDULE III

(see Rule 6)

LABEL FOR BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS/BAGS

BIOHAZARD SYMBOL

BIOHAZARD

CYTOTOXIC HAZARD SYMBOL

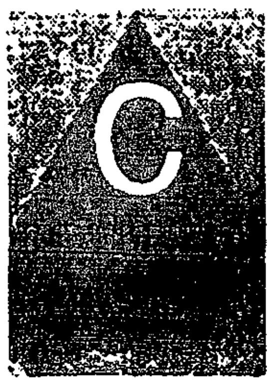

CYTOTOXIC

HANDLE WITH CARE

Note :
Lable shall be non-washable and prominently visible.

SCHEDULE IV

(see Rule 6)

LABEL FOR TRANSPORT OF BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS/BAGS

Day .... Month ....

Year ....

Waste category No. .... Date of generation. ....

Waste class

Waste description

Sender's Name & Address

Phone No. ....

Telex No. ....

Fax No. ....

Contact Person ....

Receiver's Name & Address

Phone No. ....

Telex No. ....

Fax No. ....

Contact Person ....

In case of emergency please contact :

Name & Address :—

Phone No.

Note :

Label shall be non-washable and prominently visible.

SCHEDULE V

(see Rule 5 and Schedule I)

STANDARDS FOR TREATMENT AND DISPOSAL OF BIO-MEDICAL WASTES

STANDARDS FOR INCINERATORS :

All incinerators shall meet the following operating and emission standards :

A. Operating Standards

1. Combustion efficiency (CE) shall be at least 99.00%.
2. The Combustion efficiency is computed as follows :

$$C.E. = \frac{\%CO2}{\%\ CO2 + \%\ CO} \times 100$$

3. The temperature of the primary chamber shall be 800 ± 50 deg. C°.
4. The secondary chamber gas residence time shall be at least 1 (one) second at 1050 ± 50C°, with minimum 3% Oxygen in the stack gas.

B. Emission Standards

Parameters	Concentration mg/Nm3 at (12% CO2 correction)
(1) Particulate matter	150
(2) Nitrogen Oxides	450
(3) HCl	50

(4) Minimum stack height shall be 30 metres above ground

(5) Volatile organic compounds in ash shall not be more than 0.01%

Note :

- Suitably designed pollution control devices should be installed/retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits, if necessary.
- Wastes to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
- Chlorinated plastics shall not be incinerated.
- Toxic metals in incineration ash shall be limited within the regulatory quantities as defined under the Hazardous Waste (Management and Handling Rules,) 1989.
- Only low sulphur fuel like L.D.O./L.S.H.S./Diesel shall be used as fuel in the incinerator.

STANDARDS FOR WASTE AUTOCLAVING :

The autoclave should be dedicated for the purposes of disinfecting and treating bio-medical waste,

(I) When operating a gravity flow autoclave, medical waste shall be subjected to :

(i) a temperature of not less than 121 C° and pressure of 15 pounds per square inch (psi) for an autoclave residence time of not less than 60 minutes; or

(ii) a temperature of not less than 135 C° and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or

(iii) a temperature of not less than 149 C° and a pressure of 52 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes.

(II) When operating a vacuum autoclave, medical waste shall be subjected to a minimum of one pre-vacuum pulse to purge the autoclave of all air. The waste shall be subjected to the following:

(i) a temperature of not less than 121 C° and pressure of 15 psi per an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or

(ii) a temperature of not less than 135 C° and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes;

(III) Medical waste shall not be considered properly treated unless the time, temperature and pressure indicators indicate that the required time, tempeture and pressure were reached during the autoclave process. If for any reasons, time temperature or pressure indicator indicates that the required temperature, pressure or residence time was not reached, the entire load of medical waste must be autoclaved again until the proper temperature, pressure and residence time were achieved.

(IV) **Recording of operational parameters**

Each autoclave shall have graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of the autoclave cycle.

(V) **Validation test**

Spore testing :

The autoclave should completely and consistently kill the approved biological indicator at the maximum design capacity of each autoclave unit. Biological indicator for autoclave shall be Bacillus stearothermophilus spores

using vials or spore strips, with at least 1×10^4 spores per millilitre. Under no circumstances will an autoclave have minimum operating parameters less than a residence time of 30 minutes, regardless of temperature and pressure, a temperature less than 121 C° or a pressure less than 15 psi.

(VI) **Routine Test**

A chemical indicator strip/tape that changes colour when a certain temperature is reached can be used to verify that a specific temperature has been achieved. It may be necessary to use more than one strip over the waste package at different location to ensure that the inner content of the package has been adequately autoclaved.

ANDARDS FOR LIQUID WASTE :

The effluent generated from the hospital should conform to the following limits :

PARAMETERS	PERMISSIBLE LIMITS
pH	6.5-9.0
Suspended solids	100 mg/l
Oil and grease	10 mg/l
BOD	30 mg/l
COD	250 mg/l
Bio-assay test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent.

these limits are applicable to those hospitals which are either connected with sewers without terminal sewage treatment plant or not connected to public sewers. For discharge into public sewers with terminal facilities, the general standards as notified under the Environment (Protection) Act, 1986 shall be applicable.

ANDARDS OF MICROWAVING:

Microwave treatment shall not be used for cytotoxic, hazardous or radioactive wastes, contaminated animal carcasses, body parts and large metal items.

The microwave system shall comply with the efficacy test/routine tests and a performance guarantee may be provided by the supplier before operation of the unit.

The microwave should completely and consistently kill the bacteria and other pathogenic organisms that is ensured by approved biological indicator at the maximum design capacity of each microwave unit. Biological indicators for microwave shall be Bacillus Subtilis spores using vials or spore strips with at least 1×10^4 spores per milliliter.

ANDARDS FOR DEEP BURIAL

A pit or trench should be dug about 2 meters deep. It should be half filled with waste, then covered with lime within 50 cm of the surface, before filling the rest of the pit with soil.

It must be ensured that animals do not have any access to burial sites. Covers of galvanised iron/wire meshes may be used.

On each occasion, when wastes are added to the pit, a layer of 10 cm of soil shall be added to cover the wastes.

Burial must be performed under close and dedicated supervision.

The deep burial site should be relatively impermeable and no shallow well should be close to the site.

The pits should be distant from habitation, and sited so as to ensure that no contamination occurs of any surface water or ground water. The area should not be prone to flooding or erosion.

The location of the deep burial site will be authorised by the prescribed authority.

The institution shall maintain a record of all pits for deep burial.

SCHEDULE VI

(see Rule 5)

SCHEDULE FOR WASTE TREATMENT FACILITIES LIKE INCINERATOR/ AUTOCLAVE/MICROWAVE SYSTEM

A.	Hospitals and nursing homes in towns with population of 30 lakhs and above	by 31st December, 1999 or earlier
B.	Hospitals and nursing homes in towns with population of below 30 lakhs,	
	(a) with 500 beds and above	by 31st December, 1999 or earlier
	(b) with 200 beds and above but less than 500 beds	by 31st December, 2000 or earlier
	(c) with 50 beds and above but less than 200 beds	by 31st December, 2001 or earlier
	(d) with less than 50 beds	by 31st December, 2002 or earlier
C.	All other institutions generating bio-medical waste not included in A and B above	by 31st December, 2002 or earlier

FORM I

(see rule 8)

APPLICATION FOR AUTHORISATION

(To be submitted in duplicate.)

To

The Prescribed Authority
(Name of the State Govt/UT Administration)
Address.

1. Particulars of Applicant

(i) Name of the Applicant
(In block letters & in full)

(ii) Name of the Institution:
Address:
Tele No., Fax No. Telex No.

2. Activity for which authorisation is sought:
   (i) Generation
   (ii) Collection
   (iii) Reception
   (iv) Storage
   (v) Transportation
   (vi) Treatment
   (vii) Disposal
   (viii) Any other form of handling

3. Please state whether applying for resh authorisation or for renewal:
(In case of renewal previous authorisation-number and date)

4.
   (i) Address of the institution handling bio-medical wastes:
   (ii) Address of the place of the treatment facility:
   (iii) Address of the place of disposal of the waste:

5. (i) Mode of transportation (in any) of bio-medical waste:
   (ii) Mode(s) of treatment:

6. Brief description of method of treatment and disposal (attach details):

7. (i) Category (see Schedule I) of waste to be handled

(ii) Quantity of waste (category-wise) to be handled per month

8. **Declaration**

I do hereby declare that the statements made and information given above are true to the best of my knowledge and belief and that I have not concealed any information.

I do also hereby undertake to provide any further information sought by the prescribed authority in relation to these rules and to fulfill any conditions stipulated by the prescribed authority.

Date : Signature of the applicant

Place : Designation of the applicant

FORM II

(see rule 10)

ANNUAL REPORT

(To be submitted to the prescribed authority by 31 January every year).

1. Particulars of the applicant:

   (i) Name of the authorised person (occupier/operator):

   (ii) Name of the institution:

   Address

   Tel. No

   Telex No.

   Fax No.

2. Categories of waste generated and quantity on a monthly average basis:

3. Brief details of the treatment facility:

   In case of off-site facility:

   (i) Name of the operator

   (ii) Name and address of the facility:

   Tel. No., Telex No., Fax No.

4. Category-wise quantity of waste treated:

5. Mode of treatment with details:

6. Any other information:

7. Certified that the above report is for the period from ....

   ....

Date .... Signature ....

Place .... Designation ....

FORM III

(see Rule 12)

ACCIDENT REPORTING

1. Date and time of accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. The waste involved in accident :
4. Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment :
5. Emergency measures taken :
6. Steps taken to alleviate the effects of accidents :
7. Steps taken to prevent the recurrence of such an accident :

Date : ....
Place : ....

Signature : ....
Designation : ....

[F.No. 23-2/96-HSMD)

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 | REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2000/फाल्गुन 17, 1921
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2000/PHALGUNA 17, 1921

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

का. आ. 201 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 की अनुसूची 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 6 रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 6

(नियम 5 देखिए)

भस्मक/आटोक्लेव/सूक्ष्म तरंगन प्रणाली जैसी अपशिष्ट प्रबंध सुविधा के लिए अनुसूची

क. 30 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में हस्पताल और नर्सिंग होम	30 जून, 2000 तक या उससे पहले
ख. 30 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में हस्पताल और नर्सिंग होम—	
(क) 500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	30 जून, 2000 तक या उससे पहले
(ख) 200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	31 दिसम्बर, 2000 तक या उससे पहले
(ग) 50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	31 दिसम्बर, 2001 तक या उससे पहले
(घ) 50 से कम बिस्तर वाले	31 दिसम्बर, 2002 तक या उससे पहले
ग. ऊपर क और ख में सम्मिलित न किए गए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली अन्य सभी संस्थाएं।	31 दिसम्बर, 2002 तक या उससे पहले"

[फा. सं. 29-1/2000-एच. एस. एम. डी.]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम का का. आ. सं. 630 (अ) तारीख 20-7-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

S. O. 201(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, for Schedule VI, the following Schedule VI shall be substituted, namely:-

"**Schedule VI**

(see rule 5)

SCHEDULE FOR WASTE MANAGEMENT FACILITIES LIKE INCINERATOR/AUTOCLAVE/MICROWAVE SYSTEM

A. Hospitals and nursing homes in towns with population of 30 lakhs and above	By 30th June, 2000 or earlier
B. Hospitals and nursing homes in towns with population of below 30 lakhs- (a)with 500 beds and above	By 30th June, 2000 or earlier
(b)with 200 beds and above but less than 500 beds	By 31st December, 2000 or earlier
(c)with 50 beds and above but less than 200 beds	By 31st December, 2001 or earlier
(d) with less than 50 beds	By 31st December, 2002 or earlier
C. All other institutions generating bio-medical waste not included in A and B above.	By 31st December, 2002 or earlier"

[F. No.29-1/2000-HSMD]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S. O. 630(E) dated 20th July, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.—2000

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

335

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2000/ज्येष्ठ 12, 1922

No. 375] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2000/JYAISTHA 12, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2000

का. आ. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,—

(i) खण्ड (7) में "की जाती है" शब्दों के पश्चात् "और इसमें उपचार की सामान्य सुविधाएं शामिल हैं" शब्द जोड़े जाएंगे।

(ii) खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7(क) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) क्षेत्र का नगरपालिका निकाय, अस्पतालों और परिचर्या गृहों द्वारा जनित पृथक किए गए अनुपचारित जीव चिकित्सा ठोस अपशिष्ट को, साथ ही साथ सम्यक् रूप से उपचारित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट को, नगर पालिका के सन्निक्षेप स्थल पर व्ययन के लिए उठवाना और परिवहन कराना चालू रखेगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रदूषण नियन्त्रण समितियां होंगी और पूर्णत: नियुक्त किसी विहित प्राधिकारी के समक्ष जो मामले लंबित होंगे वे सभी मामले, यथास्थिति सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समिति, को अंतरित हो जाएंगे"।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) किसी सुविधा के प्रचालन का प्राधिकार प्ररूप 4 में जारी किया जाएगा, किन्तु यह उस में अधिकथित शर्तों और ऐसी अन्य शर्त के अधीन होगा, जो विहित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए"।

6. उक्त नियमों में, नियम 9 में, "राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड /प्रदूषण नियन्त्रण समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में नियम 13 में, "संसूचित किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप 5 में" शब्द और अंक अन्त:स्थापित किये जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सामान्य व्ययन/भस्मन स्थल :—14 इन नियमों के नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, नगर निगम, नगर पालिक बोर्ड या शहरी स्थानीय निकाय, अपनी अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए उपयुक्त सामान्य निपटान/भस्मन स्थलों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे और किसी नगर पालिका निकाय की अधिकारिता से बाहर किसी क्षेत्र में वह जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले अधिभोगी/जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के प्रचालक की व्यष्टित: या सहयुक्त रूप से उपर्युक्त स्थलों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी होगी जिससे कि इन नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा सके।

9. उक्त नियमों में अनुसूची I में,—

(i) उप शीर्ष में, "विकल्प" शब्द के स्थान पर "अपशिष्ट प्रवर्ग सं." शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप शीर्ष में, "अपशिष्ट प्रवर्ग" शब्दों के पश्चात् "किस्म" शब्द जोड़ा जाएगा ;

(iii) उप शीर्ष में, "उपचार और निपटान" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"उपचार और निपटान विकल्प+"

ऊपर दिये गए विकल्प उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

+जो अधिभोगी/प्रचालक अन्स स्टेट-ऑफ-दी आर्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहते हों, तो वे मानक अधिकथित कराने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संपर्क करेंगे जिससे कि विहित प्राधिकारी प्राधिकार देने के लिए विचार करने हेतु समर्थ हो सके"।

(iv) प्रवर्ग सं. 6 के सामने, दूसरे स्तम्भ में, "ठोस" शब्द के स्थान पर "दूषित" शब्द रखा जाएगा;

(v) प्रवर्ग सं. 7 के सामने दूसरे स्तम्भ में "आई वी" शब्द के स्थान पर "अंत: शिरा" शब्द रखा जाएगा;

10. उक्त नियमों में प्ररूप I में, शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकार/प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन"

11. उक्त नियमों में, प्ररूप 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोडे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप-IV

[नियम 8(4) देखें]

(जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, उपचार, भण्डारण, परिवहन और निपटान को सुविधा का प्रचालन करने के लिए प्राधिकार)

1. प्राधिकार की फाइल सं. और जारी किए जाने की तारीख

2. ——————————————के ——————————————को—————————————— पर स्थित परिसर से जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भण्डारण, परिवहन और निपटान के लिए सुविधा का प्रचालन करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त किया जाता है।

3. यह प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से ——————————वर्षों की अवधि तक के लिए प्रवृत्त रहेगा।

4. यह प्राधिकार नीचे कथित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन है।

हस्ताक्षर——————————

पदनाम ——————————

तारीख

प्राधिकार के निबन्धन और शर्तें*

1. यह प्राधिकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

2. ऐसे प्राधिकार या उसके नवीकरण को विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

*विहित प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त निबन्धन और शर्तें अनुबद्ध की जाएं।

537

3. प्राधिकृत व्यक्ति, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जीव-चिकित्सा अपशिष्टों को भाटक पर, उधार में, विक्रय, अन्तरण या परिवहन नहीं करेगा।

4. किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित कार्मिक, उपस्कर या कार्य करने की स्थितियों में किसी अप्राधिकृत परिवर्तन को उसके प्राधिकार का भंग माना जाएगा।

5. यह प्राधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सुविधा को बन्द करने के लिए विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ले।

प्ररुप-V

(नियम 13 देखें)

जिला स्तर पर विहित प्राधिकारी द्वारा या विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर के प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए आवेदन पत्र।

1. अपील के लिए आवदेन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता:

2. उस प्राधिकरण की संख्या, आदेश की तारीख और पता, जिसने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. अपील करने का आधार

4. पैरा 2 में दिए गए आदेश, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, के अलावा संलग्नकों की सूची।

हस्ताक्षर

नाम और पता ————————————

तारीख :

[फा. सं. 23 (2)/96-एच एस एम डी]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम का का. आ. सं. 630(अ) तारीख 20-7-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा पश्चात्‌वर्ती संशोधन का.आ.सं. 201(अ) तारीख 6-3-2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2000

S.O. 545(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, namely:—

1 (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) (Second Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, --

(i) in clause (7), after the words "carried out", the words "and includes common treatment facilities," shall be added;

(ii) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely :-
'(7a)"Form" means Form appended to these rules;'.

3. In the said rules, in rule 6, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(6) The Municipal body of the area shall continue to pick up and transport segregated non bio-medical solid waste generated in hospitals and nursing homes, as well as duly treated bio-medical wastes for disposal at municipal dump site."

4. In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:--

"(1) The prescribed authority for enforcement of the provisions of these rules shall be the State Pollution Control Boards in respect of States and the Pollution Control Committees in respect of the Union territories and all pending cases with a prescribed authority appointed earlier shall stand transferred to the concerned State Pollution Control Board, or as the case may be, the Pollution Control Committees."

5. In the said rules, in rule 8. after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely : -

"(4) The authorization to operate a facility shall be issued in Form IV, subject to conditions laid therein and such other condition, as the prescribed authority, may consider it necessary."

6. In the said rules, in rule 9, the words "The State Pollution Control Board/Pollution Control Committees shall be represented" shall be omitted.

7. In the said rules, in rule 13, after the words "prefer an appeal", the words and letter "in form V" shall be inserted.

8. In the said rules, after rule 13, the following rule shall be inserted, namely:-

Common disposal/incineration sites.—14. Without prejudice to rule 5 of these rules, the Municipal Corporations, Municipal Boards or Urban Local Bodies, as the case may be, shall be responsible for providing suitable common disposal/incineration sites for the biomedical wastes generated in the area under their jurisdiction and in areas outside the jurisdiction of any municipal body, it shall be the responsibility of the occupier generating bio-medical waste/operator of a bio-medical waste treatment facility to arrange for suitable sites individually or in association, so as to comply with the provisions of these rules".

9. In the said rules, in Schedule I, --

(i) in the sub-heading, for the word "option", the words "Waste Category No." shall be substituted;

(ii) in the sub-heading, after the words, "Waste Category" the word "Type" shall be added;

(iii) in the sub-heading, for the words "Treatment and Disposal", the following shall be substituted, namely :-
"Treatment and Disposal Option+"

\+ Options given above are based on available technologies. Occupier/operator wishing to use other State-of-the-art technologies shall approach the Central Pollution Control Board to get the standards laid down to enable the prescribed authority to consider grant of authorisation";

(iv) against Category No. 6, in the second column, for the word "Solid" the word "Soiled" shall be substituted;

(v) against Category No. 7, in second column, for the word "shaprs". the word "sharps" shall be substituted.

10. In the said rules, in FORM I, for the heading, the following heading shall be substituted namely :-
"Application for Authorisation/Renewal of Authorisation".

11. In the said rules, after Form III and the entries relating thereto, the following FORMS shall be added, namely :-

"FORMS IV & V"
(attached)

"FORM IV

[see rule 8(4)]

(Authorisation for operating a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes.)

1. File number of authorisation and date of issue..

2. ....of ....
is hereby granted an authorisation to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of biomedical waste on the premises situated at ....
.....
....

3. This authorisation shall be in force for a period of .... Years from the date of issue.

4. This authorisation is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Signature ....

Date........... Designation

....

Terms and conditions of authorisation*

1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.
2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the prescribed authority.
3. The person authorised shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.

---

* Additional terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.

FORM V

[see rule 13]

Application for filing appeal against order passed by the prescribed authority at district level or regional office of the Pollution Control Board acting as prescribed authority or the State/Union Territory level authority.

1. Name and address of the person applying for appeal :
2. Number, date of order and address of the authority which passed the order. against which appeal is being made (certified copy of order to be attached)
3. Ground on which the appeal is being made
4. List of enclosures other than the order referred in para 2 against which appeal is being filed.

Date : Signature________________

Name & Address________________ "

[F. No.23(2)/96-HSMD]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 630(E) dated 20-7-98, and subsequently amended vide S.O. 201(E) dated 6-3-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.